न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2018

केवलसिंह पुत्र बन्तसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 8 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
—— **अपीलार्थी**

बनाम

1. कशमीरसिंह पुत्र बसन्तसिंह
2. प्रगटसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह
3. सुखदीपसिंह पुत्र भजनसिंह
4. अवतारसिंह पुत्र जगदेवसिंह
5. नवजोतसिंह पुत्र रणजीतसिंह
6. हजूरसिंह पुत्र लाभसिंह
7. सुखचैनसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह
8. जगदीपसिंह पुत्र इन्द्रजीतसिंह
9. महेन्द्रसिंह पुत्र मलकीतसिंह
10. गुरजीतसिंह पुत्र स्वर्णसिंह
11. साधुसिंह पुत्र करनेलसिंह
12. सरजीतसिंह पुत्र मेजरसिंह
13. हरजन्द्रिसिंह पुत्र दर्शनसिंह
14. हरजिन्द्रसिंह पुत्र कलवंतसिंह

(क्रमांक 1 से 14) जाति जटसिख निवासीगण चक 4 एल सी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

15. मदन पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी 4 एल.सी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनर ।
16. नत्थूराम पुत्र बस्तीरात जाति मेघवाल निवासी 4 एल.सी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगांगनर
17. देवीलाल पुत्र बस्तीराम
18. शिवलाल पुत्र लालचन्द

(क्रमांक 17 व 18) जाति मेघवाल निवासी 4 एल.सी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

12/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

19. हरीराम पुत्र सुरजाराम
20. भंवरलाल पुत्र लालचन्द
21. राजकुमार पुत्र पुरखाराम
22. दौलतराम पुत्र जीवनराम
23. मूलाराम पुत्र जीवनराम
24. लीलाधर पुत्र कोझाराम

अकवाम मेघवाल निवासीगण 4 एल.सी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

25. राजकुमार पुत्र भंवरनाथ जाति नाथ निवासी 4 एल.सी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
26. देवेन्द्रसिंह पुत्र हजारी लाल जाति कम्बोज निवासी 4 एल.सी. ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
27. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 29.12.2017

उपस्थितिः—

श्री राजेश गुम्बार अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रामेश्वरलाल सुथार अभिभाषक रेस्पो संख्या 1 सें 5, 7 से 23, 25, 26

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 12.03.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को शमशान भूमि चक 4 एल.सी. बी की लगती है। चक 4 एल.सी. बी के मु.न. 41 प.न. 140/364 के कि.न. 4 से 6 में 0.430 है0 भूमि गै.मु. शमशान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। अतः इस हेतु मु.न. 42 प.न. 139/364 के कि.न. 1 से 5 में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी/अपीलार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना धारा 251ए की परिधि में नहीं आता है, ऐसा प्रार्थना केवल कृषि भूमि के कार्यो हेतु ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थीगण को इस रास्ता के अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध है जिससे आते जाते हैं जो सुविधाजनक है। प्रार्थीगण ने रंजिश वंश प्रार्थना पत्र पेश किया है। पूर्व में भी इसी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करावाने हेतु प्रार्थना पत्र अप्रेश कुमार बनाम केवलसिंह प्रकरण संख्या 252/15 दिनांक 23.06.2015 को निस्तारित हो चुका है एवं दूसरा प्रकरण जसपालसिंह आदि बनाम केवलसिंह प्रकरण संख्या 257/15 दिनांक 29.07.2015 को निस्तारित किया जा चुका है जिसमें निर्धारित किया जा चुका है कि रास्ते की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की भूमि में रेलवे लाईन व खाला है जिससे पहले से ही भूमि कटी हुई है, रास्ता देने से और भूमि कम हो जायेगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 29.12.2017 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि पूर्व में रास्ता स्वीकृति के दो प्रार्थना पत्र खारिज किये जा चुके हैं जिनके विरूद्ध रेस्पो. ने किसी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की है, इसलिए वे आदेश अन्तिम हो चुके है। रा.का.अ.की धारा 251ए का प्रार्थना पत्र कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है न कि सार्वजनिक हेतु के लिए। अपीलांट एक छोटा काश्तकार है जिसकी भूमि में पहले से खाला है एवं रेलवे लाईन है। रेस्पो. को शमशान भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता है। रेस्पो. अपनी सुविधा अनुसार रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकते। सार्वजनिक हित सीपीसी की धारा 91 व 92 के तहत सिर्फ सिविल

12/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय में वाद या माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के जरिये अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अधी.न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही रास्ता स्वीकृत किया है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शमशान भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को डीएलसी की दर से दुगनी राशि दिलाने के आदेश दिये है। रेस्पो. को शमशान में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र उक्त नियमों में ही पेश किया जा सकता है जो पेश किया है। अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं सार्वजनिक हित को मध्यनजर रखते हुए रास्ता स्वीकृत करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अ. स्वीकार किया गया है जिसमें रेस्पों. को शमशान भूमि तक पंहुचने के लिए रास्ता स्वीकृत किया है जबकि अपीलांट द्वारा जाहिर किया कि शमशान भूमि तक जाने के लिए रास्ता धारा 251ए आरटीए के तहत स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अ. पेश किया उसका text है कि प्रार्थीगण निम्न प्रकार से निवेदन करते हैं कि – प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पंजीकत पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार है। प्रार्थीगण को शमशान भूमि चक 4 एल.सी.बी की लगती है प्रार्थीगण की मुर्दे का संस्कार करने के लिए

12/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अन्य कोई शमशान भूमि चक 4 एल.सी. ए में नहीं है। चक 4 एल.सी. बी में खाता संख्या 1 मु.नं. 41 प.न. 140/364 में कि.न. 4, 5, 6 में 0.430 है0 गै.मु. शमशान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। इस शमशान भूमि में मुर्दे के संस्कार व अस्थियां चुनने के आने जाने के लिए कोई भी रास्ता स्वीकृत शुदा नहीं है, जिसमें प्रार्थीगण को लोगो के खेतों में से होकर आना जाना पड़ता है जिससे शव ले जाने वालों को बहुत परेशानी होती है और जब खेत में पानी लगा हो तो शव के नीचे गिरने का डर बना रहता है इसलिए रास्ता स्वीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से चक 4 एल.सी. बी में खाता संख्या 6 मु.न. 42 प.न. 139/364 के कि.न. 1 से 20, 22 से 24 में 5.541 है0 नहरी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसकी जमाबंदी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण शमशान भूमि चक 4 एल.सी.बी में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं जो कि प्रार्थी संख्या 2 के नाम से चक 4 एल. सी. बी में खाता संख्या 6 मु.न. 42 प.न. 139/364 के कि.न. 1 से 5 में शमशान के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीगण ने जब इस रास्ता बाबत अप्रार्थी सं0 2 से हाडी की कटाई के पश्चात निवेदन किया तो अप्रार्थी रास्ता देने से स्पष्ट इन्कार हो गया। यही प्रार्थना पत्र हेतु है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 4 एल.सी. बी के मु.न. 42 प.नं. 139/364 के कि.न. 1 से 5 में रास्ता स्वीकृत किया जाने का आदेश फरमावें एवं अधी.न्यायालय ने इस रास्ता को स्वीकृत किया है। जिस विधि के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है उसकी Bare reading है कि "251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.— (1) Where—(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings– and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that–

12/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved– may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demar-cated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way, or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted." एवं उसकी कियान्वति हेतु हेतु राजस्थान काश्कारी सरकारी नियम 68 से 70 की Bare reading है कि 68. Application under section 251-A.- An application for grant of permission under sub-section (1) of 251-A of the Act shall be in Form I.

69. Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an-officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall he decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation.- (1) The amount of compensation payable under sub-section (1) of section 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement. (ii) if the parties do not aggte mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to -

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined."

उक्त विधि के प्रावधानों में एक काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिऐ दूसरे खातेदार की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है परन्तु अधी.न्यायालय द्वारा जो 251ए आरटीए का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है वह शमशान भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिसका सन्दर्भ विधि में कोई प्रावधान नहीं है इसके अलावा पूर्व में रास्ता स्वीकृति के प्रस्तुत प्रा.पत्र दो बार निर्णित हो चुके हैं जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया गया है। साथ अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि जहां पर इस प्रकार का बिन्दु हो वे सीपीसी की धारा 91 व 92 के तहत सिर्फ सिविल न्यायालय से या माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के जरिये अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि शमशान भूमि पर जाने के लिए रास्ता एक सुखाचार है जिसके लिये पंचायत अधिनियम के प्रावधान समाहित होना जाहिर किया तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया वहीं रेस्पों. के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया कि शमशान भूमि तक मुर्दो को पहुंचाने के लिए कोई न कोई तो रास्ता चाहिए। अतः स्वीकृत किया गया रास्ता विधिसम्मत है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं सम्पूर्ण विधि का अध्ययन किया। रा.का.अ. की धारा

12/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

251ए कृषि भूमियों में जाने के लिए रास्ता से सम्बन्धित है एवं इसी अनुरूप रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। शमशान भूमि पर जाने के लिए इस विधि के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अधी.न्यायालय ने रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर